CRACKDOWN FIROZABAD

सराहनीय कार्य दिनांक 15-11-23 जनपद फिरोजाबाद।

थाना रामगढ़ पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा हत्या के मामले में वांछित चल रहे 02 मुख्य बदमाशों से हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में वाँछित अभियुक्तगण कमलेश व अवधेश गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा एवं कारतूस बरामद।

- मुठभेड के दौरान अभियुक्त कमलेश हुआ घायल, अभियुक्त कमलेश थाना उत्तर का हिस्ट्रीशीटर है जिसके विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं एक दर्जन मुकदमे।
- अभियुक्त अवधेश के विरुद्ध भी जनपद में दर्ज हैं 06 मुकदमें।
- दोनों मुख्य अभियुक्तों द्वारा अपने साथियों संग मिलकर भूपेन्द्र उर्फ कन्हैया की हत्या कर शव को गौरी शंकर डिग्री कॉलेज के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया था।
- थाना रामगढ पुलिस टीम द्वारा हत्या के मामले में 03 अभियुक्त दीवान सिंह, मनोज उर्फ चानू एवं मनोज उर्फ भिंडी को पूर्व में ही दिनांक 14-11-23 को भेजा जा चुका है जेल।
- रूपयों के लेनदेन को लेकर अभियुक्तगण द्वारा मृतक को शराब पिलाकर, गमछे से की गयी थी हत्या।
- हत्या के बाद से ही दोनों मुख्य अभियुक्त चल रहे थे फरार।

दिनांक 10.11.2023 थाना रामगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव गौरी शंकर डिग्री कालेज के पीछे नवनिर्मित कालोनी मे पड़ा है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर शव की शिनाख्त करायी गयी । मृतक के परिवार वालों ने शव की शिनाख्त भूपेन्द्र उर्फ कन्हैया पुत्र ज्ञान सिंह निवासी नगला पान सहाय थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद के रुप में की। घटना के सम्बन्ध में मृतक के बडे भाई सोनवीर सिंह द्वारा थाना रामगढ़ पर मु0अ0सं0 626/23 धारा 147/148/149/302/120 बी/34 भादवि बनाम अवधेश पुत्र दीवन सिंह निवासी नगला पान सहाय थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद आदि 06 नफर पंजीकृत कराया।

उक्त घटना के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा पुलिस अक्षीधक नगर के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के पर्येवेक्षण में तीन टीमों का गठन किया गया थाना जिसमें पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14-11-23 को हत्या की घटना में शामलि 03 अभियुक्तगण 1-दीवान सिंह, 2-विजय सिंह उर्फ चानू, 3-मनोज उर्फ भिंडी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास के क्रम में आज दिनांक 15.11.2023 को पुलिस टीम को सूचना मिली कि हत्या में वाँछित अभियुक्तगण ग्राम चनौरा की तरफ से आने वाला कच्चा रास्ता पीपल के पेड के पास हाईवे चनौरा पुल से जलेसर पुल की तरफ थाना रामगढ के पास हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गयी जिसमें उक्त लोगों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जिसमें पुलिस टीम द्वारा बचाव में फायर किया जो अभियुक्त कमलेश के दाहिने पैर

की घुटने के नीचे गोली लगी जिसमें अभियुक्त कमलेश घायल हो गया एवं साथी अभियुक्त अवधेश को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्त कमलेश उपरोक्त को वास्ते उपचार हेतु जिला अस्पताल फिरोजाबाद भिजवाया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछः- गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि मृतक ने कमलेश से 200 रुपये उधार लिए थे । मृतक भूपेन्द्र से कमलेश ने पैसे मांगे तो भूपेन्द्र ने कमलेश के साथ शराब पीकर गाली गलौज कर दी थी तथा अन्य परिवारिजनों को भी रास्ते मे गाली गलौज कर बेईज्जत किया था। मृतक किसी से भी दबता नही था। बेईज्जती का बदला लेने के लिए दिनांक 09.11.2023 को भूपेन्द्र उर्फ कन्हैया की हत्या करने हेतु योजना बनायी गई। योजना के अनुसार मृतक को दावत मे चलने की कहकर घर से बुलाकर लाया गया था तथा शराब पिलाकर गौरी शंकर डिग्री कालेज के पीछे बन रही नई कालोनी में अंगौछा से गला घोटकर हत्या कर दी गई। तथा शव को पास मे झाड़ियों मे छिपा दिया गया था।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 626/2023 धारा 147/148/149/302/120 बी /34 भादवि थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0-640/2023 धारा 307 पुलिस मुठभेड थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद
3. मु0अ0सं0-641/2023 धारा -3/25 आर्मस एक्ट थाना रामगढ फिरोजाबाद

गिरफ्तारी का दिनाक व स्थान- 15.11.2023 स्थान ग्राम चनौरा की तरफ से आने वाला कच्चा रास्ता पीपल के पेड के पास हाईवे चनौरा पुल से जलेसर पुल की तरफ थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.अवधेश पुत्र दीवान सिंह निवासी नगला पान सहाय थाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र करीब 28 वर्ष
2. कमलेश पुत्र दीवान सिंह निवासी नगला पान सहाय थाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

अभियुक्त कमलेश का आपराधिक इतिहास -------

1.मु0अ0सं0-119/2019 धारा 307/323/504 भादवि थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद
2.मु0अ0सं0-329/18 थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद
3.मु0अ0सं0-330/18 थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद
4. मु0अ0सं0-332/18 धारा – 41/102 सीआऱपीसी थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद
5. मु0अ0सं0-717/18 धारा – 2/3 गौगस्टर थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद
6. मु0अ0सं0-888/15 धारा – 307/386/504/506 भादवि थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद
7.मु0अ0सं0-304/18 धारा 379/411 भादवि थाना रसूलपुर जिला फिरोजाबाद
8. मु0अ0सं0-626/23 धारा 147/148/149/302/120वी/34 थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद
9.मु0अ0सं0-697/18 धारा 307 भादवि थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद
10. मु0अ0सं0-640/23 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद
11. मु0अ0सं0-641/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद

अभियुक्त अवधेश का आपराधिक इतिहास -------

1.मु0अ0सं0-474/15 धारा 302 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट थाना नारखी जिला फिरोजाबाद
2. मु0अ0सं0-119/2019 धारा 307/323/504 भादवि थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद
3.मु0अ0सं0-757/2022 धारा 336/504 भादवि थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद
4. मु0अ0सं0-697/2018 धारा 307 भादवि थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद
5. मु0अ0सं0-626/23 धारा 147/148/149/302/120वी/34 थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद
6. मु0अ0सं0-640/23 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना रामगढ जिला फिरोजाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
2. निरीक्षक अपराध रामप्रवेश सिंह थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
3. व0उ0नि0 अरुण कुमार त्यागी थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
4. उ0नि0 भूप्रकाश शर्मा थाना रामगढ फिरोजाबाद
5. है0का0 737 राजकुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
6. है0का0 343 योगेश कुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
7. है0का0 726 मुकेश कुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
8. है0का0 1046 जसवीर सिंह थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
9. का0 1330 योगेन्द्र कुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
10. का0 329 गौरव कुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
11. का0 1038 रमन चौधरी थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
12. का0 1565 भूरी सिंह थाना रामगढ फिरोजाबाद

सर्विलाँस/एसओजी टीमः-

प्रभारी श्री अनूप कुमार भारती एसओजी जिला फिरोजाबाद
1- है.का. प्रशान्त कुमार ,2- है.का. अमित कुमार , 3-है.का. करनवीर ,4-का.प्रवीन कुमार, 5-का. अनिल कुमार ,6- का. रघुराज सिंह , 7- का. कृष्ण कुमार , 8-का0 जय प्रकाश 9-है0का0 हरवीर सिंह 10-का0 उग्रसेन 11-चालक है0का0 प्रेम सिंह 12- है.का. चालक रमाकान्त